भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. *95**

**उत्तर देने की तारीख 08.02.2024**

**प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना**

***95 श्री कुलदीप राय शर्माः**

**श्रीमती मंजुलता मंडल:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना (पीएमईजीपी) के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ख) पीएमईजीपी के कार्यान्वयन में सरकार किन चुनौतियों का सामना कर रही है;

(ग) देशभर में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इस योजना के अंतर्गत संस्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त राज्यों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत कितने रोजगार सृजित हुए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री**

**(श्री नारायण राणे)**

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**दिनांक 08.02.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या*95 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क)** एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्र में नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके स्वस्थान पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। प्रत्येक वर्ष, स्कीम के लिए विगत वर्षों के कार्य-निष्पादन और समग्र बजट आबंटन के आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। तथापि, मार्जिन मनी और उन इकाइयों के लिए निर्धारित लक्ष्य अनंतिम है जिन्हें सहायता प्रदान की जानी है। विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्कीम के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

| | लक्ष्य | | उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|
| वर्ष | प्रयोग में आने वाली मार्जिन मनी (रु. करोड़ में) | सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या | प्रयुक्त मार्जिन मनी (रु. करोड़ में) | सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या |
| 2018-19 | 2,068.80 | 72,381 | 2,070.00 | 73,427 |
| 2019-20 | 2,396.44 | 79,236 | 1,950.82 | 66,653 |
| 2020-21 | 2,289.69 | 78,625 | 2,188.80 | 74,415 |
| 2021-22 | 2,850.00 | 92,666 | 2,977.66 | 1,03,219 |
| 2022-23 | 2,434.01 | 83,210 | 2,722.17 | 85,167 |
| 2023-24* | 2,650.01 | 80,120 | 2,400.05 | 65,324 |

*दिनांक 30.01.2024 तक के आंकड़े।

वित्तीय वर्ष 2008-09 (30.01.2024 तक) से स्कीम की शुरुआत के बाद से देश भर में 9.34 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को 24,270 करोड़ रु. से अधिक की मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान की गई है जिससे अनुमानित 76.34 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

**(ख)** देश में इस स्कीम के कार्यान्वयन में सरकार को किसी प्रकार की मुख्य चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तथापि, बैंकों, मार्जिन मनी समायोजन इत्यादि से संबंधित कुछ चुनौतियों का नियमित रूप से समन्वय किया जाता है और समय पर समाधान किया जाता है। इस वित्त आयोग चक्र अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, इस स्कीम ने इकाइयों की सहायता करने और मार्जिन मनी के वितरण के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों से अधिक लक्ष्य प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्कीम का कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है:

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
|---|---|---|---|---|---|
| | | इकाइयों की संख्या | सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या | लक्षित मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रु. में) | प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रु. में) |
| 1 | 2021-22 | 92,666 | 103,219 | 2,850.00 | 2,977.66 |
| 2 | 2022-23 | 83,210 | 85,167 | 2,434.01 | 2,722.17 |
| 3 | 2023-24* | 80,120 | 65,324 | 2,650.01 | 2,400.05 |
| | कुल | **255,996** | **253,710** | **7,934.02** | **8,099.88** |

*दिनांक **30.01.2024** तक के आंकड़े

**(ग)** देश भर में विशेष रूप से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पीएमईजीपी के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित और प्रयुक्त निधियों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2018-19 से 2023-24 (दिनांक 30.01.2024 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार सृजित रोजगार का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ) पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला उद्यमियों के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को विशेष श्रेणियों में रखा जाता है और वे उच्चत्तर मार्जिन मनी सब्सिडी और कम व्यक्तिगत अंशदान के लिए पात्र हैं। पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य-वार लक्ष्यों का आबंटन किया जाता है जिसमें महिला उद्यमी भी शामिल होती हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2023-24 (30.01.2024 तक) तक पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता-प्राप्त महिला नेतृत्व वाली इकाइयों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

| **वर्ष** | **सहायता-प्राप्त महिला नेतृत्व वाली इकाइयां** |
|---|---|
| 2018-19 | 25,434 |
| 2019-20 | 24,720 |
| 2020-21 | 27,285 |
| 2021-22 | 39,156 |
| 2022-23 | 32,626 |
| 2023-24* | 27,332 |

* दिनांक 30.01.2024 तक

(च) **स्कीम को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:**

i. अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत को विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रु. से बढ़ाकर 50 लाख रु. और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रु. से बढ़ाकर 20 लाख रु. कर दिया गया है।
ii. आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडरों के आवेदकों को विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है।
iii. स्कीम के अंतर्गत पशुपालन से संबंधित उद्योगों जैसे डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, कीटों (मधुमक्खी, रेशम उत्पादन, आदि) को सम्मिलित किया गया है।
iv. पीएमईजीपी के अंतर्गत द्वितीय ऋण के लिए आवेदन करने वाली मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों की लाभप्रदता पर विचार करते समय कोविड वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए छूट दी गई है।
v. 2 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए कोई अनिवार्य ईडीपी नहीं है और 5 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए प्रशिक्षण की अवधि छोटी (5 दिन तक) है।
vi. भावी उद्यमियों के बीच स्कीम के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए सभी स्तरों पर जागरूकता शिविरों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनिओं का आयोजन किया जा रहा है।
vii. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पीएमईजीपी स्कीम का प्रचार-प्रसार।

*****

अनुबंध- I: दिनांक 08.02.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *95 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध- I:

वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार मार्जिन मनी लक्ष्य और उपलब्धि (दिनांक 30.01.2024 तक की स्थिति के अनुसार)

| क्र.सं. | राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र | वर्ष 2018-19 | | वर्ष 2019-20 | | वर्ष 2020-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रयोग की जाने वाली लक्षित मार्जिन मनी (लाख में) | उपलब्धि – प्रयुक्त मार्जिन मनी (लाख में) | प्रयोग की जाने वाली लक्षित मार्जिन मनी (लाख में) | उपलब्धि – प्रयुक्त मार्जिन मनी (लाख में) | प्रयोग की जाने वाली लक्षित मार्जिन मनी (लाख में) | उपलब्धि – प्रयुक्त मार्जिन मनी (लाख में) |
| 1 | **अंडमान निकोबार** | **350.00** | **318.52** | **300.00** | **146.16** | **287.45** | **186.12** |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 6,468.12 | 9,046.31 | 10,580.00 | 9,024.23 | 6,799.38 | 6,866.30 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 900.00 | 419.88 | 500.00 | 363.79 | 479.08 | 232.63 |
| 4 | असम | 13,290.45 | 4,167.41 | 11,207.80 | 3,557.78 | 14,589.04 | 4,948.48 |
| 5 | बिहार | 11,524.03 | 9,842.00 | 9,000.00 | 6,950.67 | 8,466.18 | 7,208.74 |
| 6 | चंडीगढ़-संघ राज्य क्षेत्र | 100.00 | 63.91 | 100.00 | 28.71 | 95.82 | 16.00 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 6,720.84 | 6,784.52 | 6,133.26 | 6,098.28 | 7,603.01 | 6,062.77 |
| 8 | दिल्ली | 300.00 | 157.13 | 195.00 | 110.63 | 287.45 | 147.61 |
| 9 | गोवा | 641.59 | 237.23 | 300.00 | 244.36 | 287.45 | 156.65 |
| 10 | गुजरात* | 14,869.70 | 25,443.87 | 30,921.00 | 28,740.29 | 19,651.54 | 20,637.05 |
| 11 | हरियाणा | 4,944.96 | 5,178.43 | 6,500.00 | 4,938.21 | 5,998.41 | 5,512.55 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 3,374.67 | 4,135.61 | 4,300.00 | 3,229.32 | 3,643.96 | 3,381.10 |
| 13 | जम्मू कश्मीर | 8,030.86 | 15,222.00 | 14,417.74 | 11,142.86 | 7,804.17 | 18,306.28 |
| 15 | झारखंड | 6,566.45 | 4,535.69 | 4,600.00 | 3,749.79 | 5,589.11 | 3,847.80 |
| 15 | कर्नाटक | 8,857.55 | 10,725.32 | 15,450.00 | 10,681.14 | 10,576.52 | 12,504.26 |
| 16 | केरल | 4,388.22 | 5,383.93 | 5,500.00 | 5,322.79 | 5,094.40 | 5,225.88 |
| 17 | लद्दाख- संघ राज्य क्षेत्र | - | - | - | - | 780.42 | 1,168.41 |
| 18 | लक्षद्वीप | 50.00 | - | 50.00 | - | 47.91 | 15.36 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 12,672.68 | 10,002.28 | 8,500.00 | 8,063.63 | 19,201.65 | 13,807.82 |
| 20 | **महाराष्ट्र**** | **11,365.52** | **15,272.02** | **12,521.00** | **11,219.47** | **12,196.93** | **8,844.29** |
| 21 | मणिपुर | 3,297.40 | 2,041.06 | 2,815.73 | 2,036.30 | 5,156.79 | 5,899.03 |
| 22 | मेघालय | 3,413.50 | 587.14 | 2,971.70 | 569.17 | 3,837.48 | 579.65 |
| 23 | मिजोरम | 2,768.62 | 1,514.90 | 2,101.59 | 1,083.78 | 2,893.48 | 1,412.46 |
| 24 | नागालैंड | 3,595.65 | 2,349.67 | 3,412.08 | 2,650.24 | 4,296.52 | 2,045.47 |
| 25 | ओडिशा | 8,184.02 | 7,856.18 | 7,600.00 | 7,816.86 | 7,626.82 | 8,748.07 |
| 26 | पुदुचेरी | 200.00 | 150.70 | 150.00 | 117.26 | 143.72 | 116.81 |
| 27 | पंजाब | 4,895.21 | 4,766.68 | 6,000.00 | 3,914.83 | 5,918.03 | 5,008.66 |
| 28 | राजस्थान | 8,209.96 | 7,199.28 | 8,600.00 | 8,171.88 | 8,094.02 | 8,806.83 |
| 29 | सिक्किम | 250.00 | 112.35 | 200.00 | 174.56 | 191.63 | 152.28 |
| 30 | **तमिलनाडु** | **10,886.83** | **13,290.95** | **14,000.00** | **12,405.45** | **12,424.33** | **13,881.57** |
| 31 | तेलंगाना | 7,687.60 | 7,180.89 | 7,600.00 | 7,118.89 | 7,181.46 | 6,376.33 |
| 32 | त्रिपुरा | 3,284.38 | 2,314.24 | 2,517.10 | 1,835.39 | 3,072.38 | 1,829.57 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 23,326.06 | 19,033.28 | 27,000.00 | 21,648.00 | 25,719.10 | 32,985.38 |
| 34 | उत्तराखंड | 3,654.57 | 4,098.38 | 4,000.00 | 3,440.03 | 3,977.47 | 4,536.62 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 7,810.56 | 7,568.78 | 9,600.00 | 8,487.40 | 8,955.41 | 7,425.32 |
| **कुल योग** | | **2,06,880.00** | **2,07,000.54** | **239,644.00** | **195,082.15** | **2,28,968.52** | **2,18,880.15** |

* दमन और दीव सहित ** दादरा नगर और हवेली सहित

| क्र. सं. | राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र | वर्ष 2021-22 | | वर्ष 2022-23 | | वर्ष 2023-24 (दिनांक 30.01.2024 तक की स्थिति के अनुसार) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रयोग की जाने वाली लक्षित मार्जिन मनी (लाख में) | उपलब्धि – प्रयुक्त मार्जिन मनी (लाख में) | प्रयोग की जाने वाली लक्षित मार्जिन मनी (लाख में) | उपलब्धि – प्रयुक्त मार्जिन मनी (लाख में) | प्रयुक्त की जाने वाली लक्षित मार्जिन मनी (लाख में) | उपलब्धि – प्रयुक्त मार्जिन मनी (लाख में) |
| 1 | अंडमान निकोबार | 324.49 | 238.69 | 281.65 | 202.92 | 231.00 | 84.15 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 9,099.19 | 10,088.80 | 8,105.97 | 12,929.93 | 10,102.96 | 13,886.98 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 671.48 | 788.88 | 572.37 | 701.26 | 656.80 | 1,667.43 |
| 4 | असम | 14,794.18 | 6,659.71 | 9,585.49 | 5,954.20 | 11,162.22 | 4,851.93 |
| 5 | बिहार | 10,426.73 | 8,169.92 | 9,203.09 | 12,123.20 | 11,085.31 | 15,789.39 |
| 6 | चंडीगढ़-संघ राज्य क्षेत्र | 98.89 | 62.08 | 102.35 | 44.53 | 72.00 | 22.19 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 9,311.88 | 6,941.44 | 8,217.28 | 7,492.77 | 7,585.24 | 4,403.75 |
| 8 | दिल्ली | 324.49 | 315.23 | 281.65 | 471.11 | 345.01 | 305.15 |
| 9 | गोवा | 324.49 | 298.22 | 284.64 | 291.08 | 275.41 | 223.30 |
| 10 | गुजरात* | 26,174.71 | 28,704.84 | 22,481.52 | 24,182.62 | 23,362.62 | 30,419.00 |
| 11 | हरियाणा | 7,417.41 | 6,093.33 | 6,684.98 | 6,319.98 | 6,283.11 | 6,667.00 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 4,520.00 | 3,550.95 | 4,236.01 | 3,149.58 | 3,340.04 | 2,696.00 |
| 13 | जम्मू कश्मीर | 10,569.73 | 46,713.54 | 9,464.18 | 23,993.89 | 11,598.63 | 21,431.00 |
| 15 | झारखंड | 6,268.01 | 4,188.27 | 5,648.03 | 4,837.65 | 5,110.88 | 4,262.00 |
| 15 | कर्नाटक | 14,152.31 | 15,843.36 | 12,377.84 | 16,154.42 | 15,717.09 | 11,221.00 |
| 16 | केरल | 6,860.54 | 6,859.29 | 6,244.20 | 7,329.23 | 7,226.71 | 4,853.00 |
| 17 | लद्दाख-यूसंघ राज्य क्षेत्र | 1,081.87 | 1,182.31 | 1,337.28 | 376.09 | 754.46 | 493.00 |
| 18 | लक्षद्वीप | 51.19 | 17.50 | 54.53 | 2.49 | 41.00 | - |
| 19 | मध्य प्रदेश | 21,582.71 | 20,961.46 | 18,569.14 | 18,129.70 | 18,429.00 | 9,984.00 |
| 20 | महाराष्ट्र** | 13,806.63 | 13,018.54 | 12,114.86 | 13,203.32 | 11,711.97 | 9,997.00 |
| 21 | मणिपुर | 6,885.24 | 3,337.25 | 4,529.21 | 1,462.51 | 4,589.19 | 713.00 |
| 22 | मेघालय | 3,903.67 | 974.17 | 2,530.68 | 665.74 | 2,093.00 | 571.00 |
| 23 | मिजोरम | 2,965.57 | 1,461.76 | 1,933.14 | 1,353.86 | 2,213.53 | 1,506.00 |
| 24 | नागालैंड | 4,425.65 | 2,494.89 | 2,906.60 | 1,535.13 | 3,036.59 | 1,618.00 |
| 25 | ओडिशा | 10,239.53 | 11,335.95 | 9,113.79 | 10,731.75 | 9,067.16 | 6,936.00 |
| 26 | पुदुचेरी | 177.90 | 144.30 | 192.01 | 65.56 | 127.00 | 48.00 |
| 27 | पंजाब | 7,294.71 | 6,017.86 | 6,562.46 | 7,250.62 | 6,194.55 | 8,566.00 |
| 28 | राजस्थान | 10,874.64 | 9,025.60 | 9,659.16 | 11,418.57 | 11,481.26 | 9,319.00 |
| 29 | सिक्किम | 239.02 | 214.27 | 164.96 | 131.46 | 240.00 | 341.00 |
| 30 | तमिलनाडु | 16,785.63 | 16,445.76 | 15,145.08 | 17,891.66 | 17,625.08 | 15,719.00 |
| 31 | तेलंगाना | 8,845.96 | 9,846.14 | 7,866.14 | 10,225.11 | 9,851.76 | 9,476.00 |
| 32 | त्रिपुरा | 3,477.42 | 2,083.70 | 2,277.56 | 1,689.01 | 2,668.73 | 1,137.00 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 34,657.47 | 41,165.07 | 30,038.33 | 37,865.82 | 38,222.29 | 31,714.00 |
| 34 | उत्तराखंड | 5,348.30 | 3,983.20 | 4,936.80 | 4,631.73 | 4,291.67 | 3,248.00 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 11,018.36 | 8,539.63 | 9,698.02 | 7,408.96 | 8,207.74 | 5,837.00 |
| | **कुल योग** | **2,85,000.00** | **2,97,765.91** | **2,43,401.00** | **2,72,217.46** | **2,65,001.01** | **2,40,005.00** |

* दमन और दीव सहित ** दादरा नगर और हवेली सहित

दिनांक 08.02.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *95 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध- II:

| वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक पीएमईजीपी के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य-निष्पादन (दिनांक 30.01.2024 तक की स्थिति के अनुसार) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | | ओडिशा | | महाराष्ट्र * | | तमिलनाडु | |
| | परियोजना की संख्या | अनुमानित सृजित रोजगार (संख्या) | परियोजना की संख्या | अनुमानित सृजित रोजगार (संख्या) | परियोजना की संख्या | अनुमानित सृजित रोजगार (संख्या) | परियोजना की संख्या | अनुमानित सृजित रोजगार (संख्या) |
| 2018-19 | 142 | 1,136 | 2,444 | 19,552 | 4,193 | 33,544 | 4,452 | 35,616 |
| 2019-20 | 64 | 512 | 2,188 | 17,504 | 3,310 | 26,480 | 4,433 | 35,464 |
| 2020-21 | 93 | 744 | 2,500 | 20,000 | 2,307 | 18,456 | 4,380 | 35,040 |
| 2021-22 | 80 | 640 | 3,380 | 27,040 | 3,137 | 25,096 | 4,917 | 39,336 |
| 2022-23 | 60 | 480 | 3,016 | 24,128 | 2,760 | 22,080 | 4,879 | 39,032 |
| 2023-24** | 34 | 272 | 1,636 | 13,088 | 1,542 | 12,336 | 4,002 | 32,016 |
| कुल (शुरुआत से) | **1,890** | **9,430** | **33,607** | **2,72,540** | **40,866** | **3,24,256** | **48,357** | **4,79,381** |

* दादरा नगर और हवेली सहित, ** दिनांक 30.01.2024 तक